



Note: - As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/Pvt management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any CTI module) of DGET field Institute.

SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&E (Tools & Equipment)

Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Approval by Sub-Committee of NCVT	Remarks
		Instt.	Std. Comm.	DGET		
127 Asha Private ITI, Hilmaunpur, Dist. Firozabad Uttar Pradesh DGET-6/24/75/2008-TC	Cutting & Sewing	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-17/7/2010 SIR-27/6/2011 w.e.f. Aug 2011
128 Chandra Devi Audyogik Prashikshan Kendra, Rajepur, Kajgaon, Dist. Jaunpur Uttar Pradesh DGET-6/24/157/2011-TC (New Pvt.)	Electrician Fitter	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	SCIR-25/6/2011 w.e.f. Aug 2011
129 Sparsh Private ITI, Shakara, Ram Nagar (Bhadar Road), Teh. Amethi Dist. Chhatrapati Shahuj Maharaj Nagar Uttar Pradesh DGET-6/24/193/2011-TC (New Pvt.)	Fitter Electrician Draughtsman Civil	4(2+2) 4(2+2) 2(1+1)	4(2+2) 4(2+2) 2(1+1)	* * # Rejected	* * # Rejected	SCIR-23/7/2011 *Proof of power supply i.e. Latest Electricity bill not enclosed. Meter installation proof, meter Sealing report may please be forwarded. # Rejected as Shortage in General outfit Si. No.1 to 39 of Standard tool list.
130 Shivangi Private ITI, Shivangi Campus, Jawaherpuri Dist. Badaun Uttar Pradesh DGET-6/24/81/2011-TC	COPA	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-31/5/2011 w.e.f. Aug 2011
131 Shri Shivmangal Singh Private ITI, Sakrari Dist. Chandauli Uttar Pradesh DGET-6/24/180/2009-TC	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-15/6/2011 w.e.f. Aug 2011

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
चन्द्रा देवी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
राजेपुर कचगांव
जौनपुर।

पत्रांक: 1122 / टी-3 / रा0प0 / भा0स0-संस्तुति
विषय:- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के अन्तर्गत पर निजी औ0प्र0 केंद्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

लखनऊ दिनांक

15-4-13 2012

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केंद्र की स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23-04-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 01 Units		Addl. one unit Total 3(1+1+1)	DIR-23/04 12 w.e.f. Aug.2012
2-	Electrician Addl. 01 Units		Addl. one unit Total 3(1+1+1)	

DGET-6/24/157/2011-TC DATED 27/07/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2 आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बढाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयानुगत करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित या प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों का मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों का आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवराज

(राहुल देव)
अपर निदेशक(प्रशि/शिक्षु)

पत्रांक / टी-3 / रा0प0 / भा0स0-संस्तुति / तददिनांकित

- 1 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु)वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
- 2 संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 3 गाई फाइल हेतु।
- 4 उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज लखनऊ।

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)